न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी यज्ञ मित्र सिंहदेव, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 27/2018/अपील

रामेश्वर लाल पुत्र हरदेवाराम, जाति जाट, निवासी वार्ड नम्बर 03, इन्द्रा आवास कॉलोनी पिपराली, तहसील व जिला सीकर राज.। अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार तहसील व जिला –सीकर।

रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः–

1. श्री कैलाश सोनी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट विरूद्व निर्णय दिनांक 12.04.2018 द्वारा तहसीलदार, सीकर

निर्णय

निर्णय दिनांकः 25 नवम्बर, 2019

1. अपीलान्ट ने अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है किः–

(1) ग्राम पिपराली तहसील व जिला सीकर की आराजी भूमि खसरा नम्बर 5205/479 की किस्म चारागाह अल्प भूमि पर अपीलान्ट का बतौर अतिक्रमी कब्जा बताकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखली का निर्णय पारित किया है। उक्त निर्णय गलत, विरूद्व तथ्य विपरीत पत्रावली है।

(2) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किये जाने से पूर्व अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेज पट्टा आदि का अवलोकन किये बिना ही सरसरी तौर पर निर्णय पारित किया है।

(3) अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय बिना न्याय प्रकिया का अनुसरण किये ही बेहद जल्दबाजी में पारित किया है। निर्णय पारित किये जाने से पूर्व अपीलान्ट के अधिकारों एवं वैध कब्जा को देखा तक नहीं। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत तहसीलदार तभी विपरीत कार्यवाही कर सकता है, जबकि काबिज व्यक्ति का कब्जा वैध नहीं हो लेकिन इस प्रकरण में अपीलान्ट राज्य सरकार के निर्देशों पर ग्राम पंचायत पिपराली द्वारा जारी पट्टा के आधार पर लगभग 20 वर्ष से भी अधिक समय से साधिकार काबिज चला आ रहा है। इसलिए वैध कब्जा होने पर धारा 91 लागु ही नहीं होती है।

(4) राजस्थान सरकार के आदेशानुसार सन 1975 में पंचायत समिति पिपराली के विभिन्न गांवों के पंचायत क्षेत्रों में आबादी विस्तार हेतु सम्बन्धित पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों को आबादी क्षेत्र में रिक्त भूमियों में बसावट करने के निर्देश जारी किये थे तथा इस हेतु राजस्थान सरकार द्वारा सम्बन्धित गांव में सरकारी भूमि भी आवंटित की गई थी। जिसकी पालनार्थ जिला कलक्टर सीकर ने सम्बन्धित पंचायत समितियों को पत्रांक राजस्व संख्या 1323–38, 1343–47, 1352–1365 सन 1981–82 में जारी कर आदेश जारी किया कि इस प्रकार के आबादी क्षेत्र जिसका आवंटन किया जा चुका है, में अधिकतम आवासीय क्षेत्र विकसित कर पट्टे जारी कराएं जावे। उक्त आदेश की पालना में विकास अधिकारी, पंचायत समिति पिपराली जिला सीकर ने ग्राम पंचायत पिपराली को पत्रांक संख्या 82–83 दिनांक 24.04.1982 जारी किया तथा यह आदेश पारित किया कि जिला कलक्टर ने राजस्थान सरकार की अनुशंषा से ग्राम पिपराली के गहन आबादी क्षेत्र में ग्राम पंचायत पिपराली को आबादी विस्तार हेतु भूमि आवंटित की है, जिसका कब्जा ग्राम पंचायत प्राप्त कर सन 1982–83 के निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार विभिन्न जरूरतमंदों को भूखण्ड आवंटित कर उनके पक्ष में आबादी का पट्टा जारी करें तथा उन्हें कब्जा प्रदत्त कर तथा आवंटित आबादी क्षेत्र में आवासीय मकान विकसित करने हेतु प्रेरणा स्वरूप ऋण राशि भी आवंटित व्यक्ति को उपलब्ध करावें।

(5) ग्राम पंचायत पिपराली उक्त आदेशों को समय पर प्रभावी नहीं करने के कारण पंचायत समिति पिपराली द्वारा ग्राम पंचायत पिपराली राजस्थान के पुनः यादाश्ती पत्रों 9–24 दिनांक 24.04.1982 एवं 1887–94 दिनांक 16.10.1982 को जारी किये। फिर ग्राम पंचायत समिति पिपराली द्वारा ग्राम पंचायत पिपराली को उपरोक्त उद्वेश्यों की पूर्ति हेतु पत्रांक 613–650/पंचायत/82 दिनांक 30.12.1982, 02.12.1982 जारी किये। जिसमें ग्राम पंचायत को स्पष्ट निर्देश जारी किया गया था कि उक्त ग्राम पंचायत द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है तथा वर्ष 1982–83 में ग्राम पंचायत पिपराली में आवंटित भूमि 2 एकड़ में 400 व्यक्तियों को पट्टे जारी किये जाने का लक्ष्य प्रदत्त किया गया था, जो प्राप्त नहीं किया गया है। इसलिए तत्काल जरूरतमंदों एवं गरीबों को भूखण्ड आवंटित कर पट्टा जारी कर लक्ष्य की प्राप्ति करें।

(6) उपरोक्त वर्णित स्थिति के अनुसरण में जिला कलक्टर सीकर द्वारा ग्राम पिपराली से उदयपुरावाटी जाने वाली सड़क के दक्षिण दिशा में आवंटित आबादी क्षेत्र में ग्राम पंचायत पिपराली एवं तहसीलदार सीकर द्वारा विभिन्न समय में जरूरतमंदों एवं गरीबों को आवश्यकतानुसार आबादी विस्तार कर इन्द्रा आवास योजना के नाम से आवासीय कॉलोनी विकसित कर भूखण्ड आवंटित कर पट्टे जारी किये।

(7) उक्त स्थिति की अनुसरण में ग्राम पंचायत पिपराली द्वारा प्रार्थी के नाम पट्टा दिनांक 15.12.1990 को जारी किया गया तथा मौके पर भूखण्ड चिन्हित कर प्रार्थी को विधिवत कब्जा प्रदत्त किया गया। बाद में प्रार्थी ने अपना आवश्यकतानुसार आवंटित पट्टाशुदा भूखण्ड में अपनी आवासीय मकान का निर्माण करवाया गया तथा अपने परिवार एवं बच्चों सहित काबिज हुआ। समयानुसार प्रार्थी ने आवंटित भूखण्ड में विधुत तथा जल सम्बन्ध प्राप्त किया। प्रार्थी के एवं उसके आश्रितों का आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं। इस इन्द्रा कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई विवाह आदि इसी कॉलोनी में बने विवादित सम्पदा में सम्पन्न करवाये हैं। इस कॉलोनी में सरकारी क्वाटर्स, पंचायत समिति का कार्यालय, परिसर एवं सरकारी स्कूल आदि बने हुए है तथा सरकार द्वारा विभिन्न समयों में कॉलोनी में कटे रास्तों पर सड़क बिछाई गई है। इस प्रकार प्रार्थी उक्त भूमि पर कई सालों से काबिज है तथा लगभग 90 पुराने एवं पुख्ता मकान प्रार्थी एवं अन्य व्यक्तियों के बने हुए हैं।

(8) राजस्व रिकॉर्ड में भी खसरा नम्बर 479 जिसके नये नम्बर 5205/479 है आबादी में दर्ज है तथा इसी आबादी में दर्ज भाग में प्रार्थी को पट्टा आवंटित एवं जारी हुआ है। प्रार्थी मकान बनाकर आबाद है। इस प्रकार प्रार्थी को विवादित भूमि पर बसने हेतु राजस्थान सरकार के निर्देशों के तहत ग्राम पंचायत ने विधिवत नोटिस जारी किया है तथा किसी तकनीकी कारणों से भूमि का रूपान्तरण किसी अधिकारी या अन्य की वजह से नहीं हो पाया है तो इसमें अपीलान्ट का क्या दोष है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त फरमाया जावे।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए नोटिस तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

3. बहस अपीलान्ट सुनी गई।

4. वकील अपीलान्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि जिला कलक्टर ने राजस्थान सरकार की अनुशंषा से ग्राम पिपराली के गहन आबादी क्षेत्र में ग्राम पंचायत पिपराली को आबादी विस्तार हेतु भूमि आवंटित की है, जिसका कब्जा ग्राम पंचायत प्राप्त कर सन 1982–83 के निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार विभिन्न जरूरतमंदों को भूखण्ड आवंटित कर उनके पक्ष में आबादी का पट्टा जारी किया गया है। उक्त स्थिति की अनुसरण में ग्राम पंचायत पिपराली द्वारा प्रार्थी के नाम पट्टा दिनांक 15.12.1990 को जारी किया गया तथा मौके पर भूखण्ड चिन्हित कर प्रार्थी को

विधिवत कब्जा प्रदत्त किया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.04.2018 को निरस्त फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

5. हमने अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण का निर्णय बिना तथ्यों का परीक्षण किये पारित किया गया दृष्टिगत होता है। पूर्व में भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत की गई कार्यवाही और इस सम्बन्ध में विकास अधिकारी पंचायत समिति पिपराली द्वारा जारी पत्र के आधार पर यदि संलग्न नजरी नक्शा को देखा जाये तो इससे यह प्रतीत होता है कि उक्त दर्शाया गया अतिक्रमण किसी नियोजित योजना का हिस्सा है। इस बाबत सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में कोई परीक्षण/विवेचन नहीं किया गया है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला इस बिन्दु पर आधारित है कि पूर्व में उक्त भूमि पर इन्दिरा आवास योजना राजकीय भूमि को नियमन/राजकीय भूमि पर राजकीय नियमों के अन्तर्गत योजना सृजन की कार्यवाही की गई थी अथवा नहीं।

6. अतः प्रकरण तहसीलदार सीकर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण परीक्षण कर सम्बन्धित राजकीय विभागों की समस्त जानकारी प्राप्त कर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर **एक माह** के भीतर निस्तारण करें।

7. निर्णय आज दिनांक : 25 **नवम्बर, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर, सीकर